



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232170
CG-DL-E-27122021-232170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943

No. 668]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

भारतीय उपचर्या परिषद्

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

फा.सं. 18-11/14032-आईएनसी.-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, तक्षशिला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीताराम सेवा ट्रस्ट परिसर, गवर्नमेंट आईटीआई के सामने, वालिया नेतरंग रोड, वालिया, जिला भरुच-393125 (गुजरात) गुजरात राज्य सरकार तथा गुजरात उपचर्या परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए कमिशनर (स्वास्थ्य) एवं पदेन सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), ब्लॉक संख्या 05, प्रथम तल, पुराना सचिवालय, डॉ. जीवराज भवन, सैक्टर 10, गांधीनगर, गुजरात को संबोधित नोटिस संख्या 18-11/14032-आईएनसी दिनांक 06.03.2020 को जारी किया गया था। दिनांक 06.03.2020 को जारी नोटिस की एक प्रति तक्षशिला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीताराम सेवा ट्रस्ट परिसर, गवर्नमेंट आईटीआई के सामने, वालिया नेतरंग रोड, वालिया, जिला भरुच-393125 (गुजरात) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, तक्षशिला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गुजरात के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। और संस्था यानी तक्षशिला कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 23.07.2019 परिषद् की कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया था। कार्यकारी समिति ने पाया कि संस्थान में कई मामलों में विशेष रूप से नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं की कमी है क्योंकि ये परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए संस्था को अनुपयुक्त पाया गया है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 19.06.2021 से **तक्षशिला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीताराम सेवा ट्रस्ट परिसर, गवर्नमेंट आईटीआई के सामने, वालिया नेतरंग रोड, वालिया, जिला भरुच-393125 (गुजरात)** से बी.एससी. (नर्सिंग) मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल **गुजरात राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./531/2021-22]

INDIAN NURSING COUNCIL

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 2021

F. No. 18-11/14032-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Takshila College of Nursing** situated at **Sitaram Seva Trust Campus, Opp. Govt. ITI, Valia Netrang Road, Valia, Distt. Bharuch – 393125, Gujarat** is recognized by State Government of Gujarat and Gujarat Nursing Council.

Whereas, a notice no. 18-11/14032-INC dated 06/03/2020 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Commissioner (Health) & Ex-Officio Secretary (Public Health & Family Welfare) Block No. 05, 1st Floor Old Sachiwalay, Dr. Jivraj Bhavan, Sector No. 10, Gandhinagar, Gujarat was issued. Copy of the notice dated 06/03/2020 was also enclosed to **Takshila College of Nursing** situated at **Sitaram Seva Trust Campus, Opp. Govt. ITI, Valia Netrang Road, Valia, Distt. Bharuch – 393125, Gujarat**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of Takshila College of Nursing, Gujarat. Even the institution Takshila College of Nursing has not responded to the notices issued.

Whereas, the inspection report dated 23/07/2019 was placed before the executive committee of the Council. The executive committee found that the institution is deficient in many respects especially clinical and teaching facilities as the same are not in terms with the regulations prescribed by the Council. Therefore the institution is found to be unsuitable.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 19/06/2021 any person holding a recognized qualification of B.Sc(N) from **Takshila College of Nursing** situated at **Sitaram Seva Trust Campus, Opp. Govt. ITI, Valia Netrang Road, Valia, Distt. Bharuch – 393125, Gujarat** shall be entitled to be registered only in the State of Gujarat.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./531/2021-22]